

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. राजपत्रित / डीपीसी / 2019 /

दिनांक

-: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ( ) / डीओपी / ए-11 / 86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि अ के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ सत्यनारायण	07 07 1985	27 07 2017	26 07 2018	27 07 2018
2	डॉ नितेश सिंह धाकड	21 05 1990	28 07 2017	27 07 2018	28 07 2018
3	डॉ महेश कुमार मीणा	04 07 1987	25 04 2018	24 04 2019	25 04 2019
4	डॉ प्राजक्ता खंखाल	29 10 1983	06 10 2017	05 10 2018	06 10 2018
5	डॉ हर्षपाल सिंह	10 12 1989	06 10 2017	27 11 2018 (83 EOL)	28 11 2018
6.	डॉ मोहम्मद अजरुद्दीन	10 12 1990	06 10 2017	15 10 2018 (40 EOL)	16 10 2018
7	डॉ विकास कुमार	08 07 1990	19 07 2017	18 07 2018	19 07 2018
8.	डॉ मनोज कुमार तूनवाल	03 02 1992	20 07 2017	07 10 2018 (110 EOL)	08 10 2018

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक. राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 401

दिनांक 29.07.18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर